कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित — **श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी — **मेसर्स Specialties Alluminium & Grills Ltd., 10, Christ-church Market, Kanpur.**

प्रार्थना पत्र संख्या — **384 / 08**

प्रार्थी की ओर से — **श्री अजय टण्डन, अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-384 / 08, दिनांक 16.10.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से व्यापारी द्वारा निम्न 3 प्रश्न पूछा गया है :-

1. What is the exact method or rule or system of calculation of tax liability on monthly basis by a contractor carrying on business in aforesaid style and what is the formet for filing monthly returm? I understand that Form-XXIV prescribed under Rule 45 (2) of the U.P. VAT Rules, 2008 does not contain columns to furnish information under Rule-9 or other information which are required in a contractor's case.

2. What is the accurate method of computing liability on monthly basis by the contractors under reference, in view of the specific provisions of the act / rules regarding statutory presumption of material content in a works contract ?

3. Where the contract runs in more than one year then what is the method or system or rule to determine liability as on 31st March ?

2. फर्म की ओर से श्री अजय टण्डन, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि Alluminium Doors, Windows and Glazing तथा other architecturals का executing works contracts के तहत किया जाता है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़की आदि लगाने का कार्य वर्क कान्ट्रैक्ट पर लिया गया है। इन सभी संविदाओं में कोई फाइनल कान्ट्रैक्ट वैल्यू नहीं होती है तथा संविदा की राशि नाप या दर के अनुसार होती है। अत: उनके द्वारा ठेके की राशि की गणना के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रश्न पूछे गये हैं।

3. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा पूछे गये प्रश्न उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के सब क्लास-(1) (a) (b) (c) (d) (e) के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूँकि व्यापारी द्वारा पूछा गया प्रश्न धारा-59 की परिधि के बाहर है। अत: व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

4. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 1, फरवरी, 2010

प्रमाणित प्रतिलिपि

ह0 /- 1.2.10

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।